



पत्रांक 307 /02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक -09/06/2018

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र सिंह रावत	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड हल्द्वानी	प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर	17 (1) (क)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/ राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/ हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर/ हल्द्वानी।
- मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
- अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

9.6.18
(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



पत्रांक 308 /02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक - 09 /06 /2018

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।


क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल (काठगोदाम) (संवर्गीय)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत	17 (1) (क)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिकक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/ राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लो0नि0वि0, ज्योलीकोट/हल्द्वानी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल (काठगोदाम)।
6. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, रानीखेत।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक 309 /02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक -09 /06 /2018

:कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।


क0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री सन्तोष सिंह नेगी	निर्माण खण्ड, लक्सर	निर्माण खण्ड, चम्बा	17 (1) क

- 1 सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2 संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- 4 स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/08 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार/नई टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी..... ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर/चम्बा।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


9.6.18
(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

